

आदेश

डॉ. हरिराम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिल्लू (नागौर) को सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशलाइजेशन हेतु सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में रेडियोडायग्नोसिस विशिष्टता आवंटित की गई थी। जिसके स्थान पर डॉ. हरिराम को जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में रेडियोडायग्नोसिस की रिक्त सीट पर प्रशिक्षण हेतु कार्यग्रहण करने की अनुमति एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रदान की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/डीपीसी/सर्टि.कोर्स/2016/ 1235 दिनांक 27.12.16
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर को प्रेषित कर अनुरोध है कि डॉ. हरिराम को उक्त कोर्स हेतु कार्यग्रहण करवाकर उनको आवंटित विशिष्टता में विभागाध्यक्ष के अधीन प्रशिक्षण हेतु निर्देशित कर इस निदेशालय को अवगत करावें।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है उक्त कोर्स हेतु डॉ. हरिराम से निर्धारित प्रपत्र में बंध पत्र भरवा कर जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त कार्यमुक्त करें।
9. डॉ. हरिराम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिल्लू (नागौर) को पालनार्थ।
10. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर मेल द्वारा सभी सम्बन्धित को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर